झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 08/2014

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक 3290 दिनांक 31.12.2013 के आलोक में एतद् द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या– 05/2010 दिनांक 26.04.2010 के आलोक में आवेदन करने वाले और झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या– 93/2011 दिनांक 12.10.2011 के आलोक में आवेदन करने एवं परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 08.03.2014 तक परिषद् कार्यालय में अपराह्न 5.00 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में नोटरी पब्लिक से प्राप्त शपथ–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा सके।

वैसे अभ्यार्थी जो परिषद् की विज्ञप्ति संख्या–39/2013 दिनांक 06.07.2013 के अनुपालन में नोटरी पब्लिक से प्राप्त शपथ–पत्र जमा नहीं कियें हैं को भी सूचित किया जाता है कि वे यथोक्त तिथि तक नोटरी पब्लिक से प्राप्त शपथ–पत्र जमा करना सुनिश्चित करें ऐसे अभ्यर्थी अपनी लिफाफे पर **विज्ञप्ति संख्या- 39/2013** जरूर अंकित कर देंगे।

2. शपथ–पत्र, 22.5 X 10 से.मी. आकार वाले लिफाफा में झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ज्ञानदीप परिसर, बरगावां, नामकुम, राँची–838410 के पता पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त लिफाफा पर "नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति परीक्षा हेतु शपथ–पत्र" आवेदित विषय का नाम एवं कन्ट्रोल नं. अंकित करेंगे। कन्ट्रोल नं. परिषद् के बेवसाईट www.jac.nic.in पर देखा जा सकता है।

3. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त किसी भी शपथ–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रहेंगे, जिसके लिए परिषद् उत्तरदायी नहीं होगा।

शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं .... पिता का नाम ....

जन्म तिथि ....पता ....

एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि:–

1. मैंने झारखण्ड लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या 02/2010 या 05/2010 के विरूद्ध नवउत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन दिया था एवं मेरा आवेदन का कन्ट्रोल नं. ....है।

2. कि, मैं मात्र झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा उपर्युक्त के आलोक में आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में ही सम्मिलित होने जा रहा/रही हूँ तथा दिनांक 29.08.2012 को झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था/हुई थी।

3. कि, भविष्य में यदि दोनों परीक्षाओं में शामिल होने से संबंधित कोई प्रमाण झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को प्राप्त होता है तो मेरा अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायगा जिसकी जबावदेही केवल मेरी होगी। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

शपथकर्त्ता का पूरा नाम

हस्ताक्षर

दिनांक

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/SECY/74/14/उ.मा.वि./JPSC/
शि.वि./19414/12 Dt. 13.02.2014
D.O.P. 14.02.2014